झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–428/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **जल पथ अंचल, चाईबासा के अधीन विभिन्न सिंचाई योजनाओं के मुख्य नहरों में पानी चलाने हेतु विशेष मरम्मति कार्य के लिये रू. 23.02 लाख (रू० तेईस लाख दो हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन जल पथ अंचल, चाईबासा के अधीन विभिन्न सिंचाई योजनाओं के मुख्य नहरों में पानी चलाने हेतु विशेष मरम्मति कार्य के लिये रू. 23.02 लाख (रू० तेईस लाख दो हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विभिन्न योजनाओं के नहरों से खरीफ सिंचाई 2016 में अधिकतम दूरी तक पानी पहूँचाने के कार्य हेतु यह प्राक्कलन तैयार किया गया है –

(i) तोरलो सिंचाई योजना के मुख्य नहर (लम्बाई 17 कि०मी०) में चेन सं०–96 एवं 204 पर नहर मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। वर्त्तमान में इससे मुख्य नहर में 3.20 कि०मी० तक ही पानी जाता है। इस कार्य को करा देने से 6.50 कि०मी० तक पानी जायेगा, जिससे पटवन में वृद्धि होगी। पानी नहर के अन्तिम छोर यानी 17 कि०मी० तक पहुँचाने हेतु इस येाजना को ERM Phase-II के अन्तर्गत रखा गया है। शार्ट टर्म कार्यक्रम के अंतर्गत नहरों का मरम्मति कराकर सिंचाई की सुविधा 6.50 कि०मी० तक ही दी जा सकती है।

तोरलो सिंचाई योजना के 6.50 कि०मी० तक पानी पहूँचाने के लिये नहर तटबंध के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 1.119 लाख

(ii) **तोरलो जलाशय योजना** के बाँध के बांये नहर में चेन संख्या 90 से 91 पर नहर तल में एवं किनारे पर स्थित पत्थर के चट्टानों के हटाने के लिए यह प्राक्कलन तैयार किया गया है। नहर तल में चट्टान आ जाने के कारण नहर में पानी के बहाव में अवरोध होता है। चट्टान के हट जाने पर पानी का बहाव सुचारू हो जायेगा। पानी नहर के अन्तिम छोर तक पहुँचाने हेतु इस येाजना को ERM Phase-II के अन्तर्गत रखा गया है।

प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 0.34 लाख

(iii) **जेनासाई जलाशय योजना** के मुख्य नहर के बेड/तल सफाई के साथ मरम्मति हेतु यह प्राक्कलन तैयार किया गया है। तल सफाई कराने से दांयी मुख्य नहर में पानी का बहाव चेन सं० 0.00 कि०मी० से चेन सं०– 3.34 कि०मी० तक होगा, जिससे सिंचाई में वृद्धि होगी। जोरो वितरणी के 0.00 कि०मी० से 2.90 कि०मी० तक तल सफाई कराकर अंतिम छोर 2.90 कि०मी० तक पानी पहूँचाया जायेगा। मिट्टी बाँध हेतु 150 मी० के दूरी से मिट्टी लाकर मरम्मति कार्य में उपयोग होना है एवं बेड/तल सफाई से प्राप्त नहर का मिट्टी उठाकर नहर के समीप सर्विस रोड के बैंक एवं दूसरे बैंक में डालने का प्रावधान किया गया है। पानी नहर के अन्तिम छोर तक पहुँचाने हेतु इस येाजना को ERM Phase-II के अन्तर्गत रखा गया है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 5.26 लाख

(iv) **ब्राहम्णी सिंचाई योजना** के मुख्य नहर के बेड/तल सफाई के साथ मरम्मति हेतु यह प्राक्कलन तैयार किया गया है। तल सफाई का कार्य होने से इस योजना के मुख्य नहर के एकमात्र चेन सं०– 6.40 कि०मी० तक रूपांकित जलश्राव पहुँचेगा जिसके कारण सिंचाई में वृद्धि होगी। सम्प्रति मुख्य नहर में कम मात्रा में पानी जाता है। चक्रधरपुर वितरणी (लम्बाई 4.50 कि०मी०) में भी पानी कम मात्रा में जाता है, जिसके तल सफाई का प्रावधान है। मिट्टी बाँध हेतु 150 मी० के दूरी से मिट्टी लाकर मरम्मति कार्य में उपयोग होना है एवं बेड/तल सफाई से प्राप्त नहर का मिट्टी उठाकर नहर के सर्विस रोड के बैंक एवं दुसरे बैंक में डालने का प्रावधान किया गया है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 4.957 लाख

(v) **विजय वीयर योजना** के एकमात्र मुख्य नहर के तल सफाई के साथ तटबंध मरम्मति हेतु यह प्राक्कलन तैयार किया गया है। तल सफाई का कार्य होने से मुख्य नहर के चेन सं०–250 (7.50 कि०मी०) तक तथा बान्दोडीह ड्रिस्ट्रीब्यूटरी में चेन सं०– 0 से चेन सं० 2.5 कि०मी० (पूरी लम्बाई) तक पानी का बहाव होगा। वर्त्तमान में मुख्य नहर में 3 कि०मी० तक पानी जाता है तथा बान्दोडीह वितरणी में पानी नहीं जाता है। मिट्टी तटबंध हेतु 150 मी० की दूरी से मिट्टी लाकर मरम्मति कार्य में उपयोग होना है एवं तल सफाई से प्राप्त मिट्टी नहर के सर्विस रोड के बैंक एवं दुसरे बैंक में डालने का प्रावधान किया गया है। पानी नहर के अन्तिम छोर तक पहुँचाने हेतु इस योजना को ERM Phase-II के अन्तर्गत रखा गया है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 5.428 लाख

(vi) **सोनुआ वीयर योजना** के एकमात्र मुख्य नहर (लम्बाई 5.40 कि०मी०) के कि०मी० 1.00 से 1.20, कि०मी० 1.70 से 5.40 तक तल सफाई का प्रावधान इस प्राक्कलन में किया गया है। औसत 600 मी०मी० गहराई में तल सफाई कराने से वियर के मुख्य नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जा सकता है। वर्त्तमान में मुख्य नहर में काफी कम मात्रा में पानी जाता है।

प्राक्कलन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा द्वारा प्रदान की गयी है।

प्राक्कलित राशि :– रू० 5.916 लाख

4. प्रस्तावित कार्य को वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित करने का कार्यक्रम है। कार्य तीन महीने के अन्दर पूरा कराया जायेगा। वर्ष 2015–16 में निविदा आमंत्रण एवं निष्पादन किया जा सकता है।

5. (i) इस योजना पर होने वाला व्यय "मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री),

(ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), तथा

(iii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 43– अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री), के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा, जिसके लिये वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के बजट में राशि का प्रावधान है।

6. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमांक– 3(i) से 3(ii) तक के कार्यों के लिये कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, चाईबासा तथा क्रमांक– 3(iii) से 3(vi) तक के कार्यों के लिये कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, चक्रधरपुर होंगे।

7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

8. इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

9. पुनर्स्थापन कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. प्रस्तावित कार्य हेतु राशि की निकासी क्रमांक 3(i) से 3(ii) के लिए चाईबासा कोषागार एवं 3(iii) से 3(vi) के लिए चक्रधरपुर कोषागार से की जायेगी।

11. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंध है।

12. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–428/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची एवं योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–428/2016– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, चाईबासा/चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–428/2016– 76/15-16 प्र० वि० **/राँची, दिनांक** 29.03.2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल सं०–1, चक्रधरपुर// ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 29/03/16
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
29/03/16